



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128656

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19080 वर्ष 2026

रवींद्र

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	प्रवीण कुमार सिंह, सैयद इमरान इब्राहिम
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मामला अपराध संख्या 103 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 115(2), 352, 351(2), 109 भारतीय न्याय संहिता और धारा 4/25 आयुध अधिनियम, पुलिस स्टेशन नोएडा सेक्टर-24, जिला गौतम बुद्ध नगर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उस पर घायल व्यक्ति की पीठ पर चोट पहुंचाने की भूमिका निर्दिष्ट की गई है। आगे कहा गया कि कोई पूरक चिकित्सा रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है और पूरक चिकित्सा रिपोर्ट के अभाव में चोटों को जानलेवा नहीं माना जा सकता। यह अपराध धारा 118(1) भारतीय न्याय संहिता (धारा 324 भारतीय दंड संहिता) से आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने यह भी कहा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि जमानत आवेदन के साथ संलग्न चोट रिपोर्ट के अलावा कोई अन्य चिकित्सा रिपोर्ट नहीं है। आवेदक का घायल व्यक्ति की जान लेने का कोई आशय नहीं था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 7.3.2026 से जेल में दिन काट रहा है और यदि, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, आपराधिक पूर्ववृत्त के आभाव पर विचार करने के बाद, और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला स्थापित कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

8. उपर्युक्त मामले अपराध में संलिप्त आवेदक- **रवींद्र** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचनबंध देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता/ 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/ 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध, कानून के अनुसार अंतर्गत धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता/ 209 भारतीय न्याय संहिता की कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (i) वाद आरम्भ करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/ 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिकथन दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में किए गए संप्रेक्षण किसी भी तरह से विद्वान परीक्षण न्यायाधीश को साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।